

20.11.23

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के टीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 20.12.23 को पेश हो।

20.12.23

पत्रावली पेश हुई।  
वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।  
पत्रावली वास्ते उतिवादीजल की ताफिली हेतु अंतिम अवसर दिनांक 06.05.2024 को पेश हो।

24

6.5.24

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुकदमात्मक से व्यस्त होने के कारण होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 15.5.24 को पेश हो।

15.5.24

पत्रावली पेश हुई।  
वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।  
वादी अधिवक्ता को पत्रावली में पेशी हेतु न्यायालय सभासदों अलग-अलग भागों से जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। यदि पत्रावली दर्ज होने के लिये अंतिम तब ताफिली की प्राप्ति होत है तब कोई उत्तरी कालेगरी नहीं हुई है एवं वादी अधिवक्ता भी अज्ञात अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली में कोई उत्तरी पेशी नहीं होने के कारण पत्रावली व अज्ञात लोगों से खारिज की जागी है।  
पत्रावली सम्बन्धित इफ्तार हो।

24